प्रस्तुत प्रजातांत्रिक प्रणाली का स्वरूप और वर्तमान परिदृश्य

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान
डॉ. राजेन्द्र कुमार गोठवाल
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
राजगढ़, अलवर (राज.)

प्रस्तावना

डॉ. अंबेडकर ने प्रजातंत्र का कोई मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया लेकिन 'मौलिकता' को लेकर डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रजातंत्र पर विचारों का महत्व नहीं घटता क्योंकि प्रत्येक ऐसी वस्तु जो मानवीय इतिहास से सरोकार रखती है वह परिवर्तनशील है, स्थाई नहीं। प्रजातंत्र भी एक स्थाई विचार नहीं बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है, एक तरीका है जिसमें परिवर्तन होना संभव है।

डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रजातंत्र पर विचार मौलिक नहीं होते हुए भी इस मायने में महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखते हैं कि उन्होंने प्रजातंत्र पर जो विचार प्रस्तुत किये हैं उनका आधार सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक है।

डॉ. अंबेडकर प्रजातंत्र को सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार में संचालित करने में विश्वास रखते थे। इस संदर्भ में उन्होंने जुलाई, 1942 के ''अखिल भारतीय दलित कांफ्रेस'', नागपुर के भाषण में कहा कि ''हमारा यह महान कर्तव्य है कि हम प्रजातंत्र को जीवन–संबंधों के मुख्य सिद्धांत के रूप में विश्व से समाप्त न होने दे। यदि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते है तो हमें उसके प्रति सच्चा एवं वफादार होना चाहिए। हमें प्रजातंत्र में केवल विश्वास ही प्रकट नहीं करना बल्कि व्यवहार में प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अंत करने वाले शत्रुओं को रोकना चाहिए, न कि उनकी सहायता करनी चाहिए''।[1]

डॉ. अंबेडकर द्वारा निर्मित आदर्श समाज का आधार प्रजातंत्र होना स्वाभाविक भी है क्योंकि वे और उनका दलित समाज तानाशाही हिंदू समाज की शोषणकारी व्यवस्था को व्यवहार में भोग चुका था। वे जातिवादी या किसी एक वर्ग की तानाशाही पर स्थापित शासन की अपेक्षा प्रजातंत्र के पक्षधर थे जिसमें अन्याय के प्रतिकार का साधन कानून हो। ऐसे शासन में जनता स्वतः ही संवैधानिक नैतिकता का पालन करने में अभ्यस्त हो। उनके अनुसार संवैधानिक नैतिकता अर्जित गुण नहीं, बल्कि इसे सीखा जाता है।

डॉ. अंबेडकर का आदर्श समाज मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संवैधानिक नैतिकता जैसे आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। डॉ. अंबेडकर के उपरोक्त आधार उनके राजनीतिक प्रजातंत्र के अनिवार्य अंग है।

परिचय :–

डॉ. अंबेडकर और उनका आधार प्लान :–

कुंजी शब्द :– प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, राजनीतिक

डॉ. अंबेडकर के राजनीतिक प्रजातंत्र के मुख्य आधार – स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, संवैधानिक नैतिकता आदि है। इन तत्वों का उचित लाभ ले पाते हैं या नहीं, यह ''आधार–प्लान'' पर निर्भर करता है।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार ''आधार–प्लान'' का अर्थ किसी समुदाय के सामाजिक ढाँचे से है जिसमें राजनीतिक योजना को व्यावहारिक तौर पर अम्ल में लाया जाता है। वैसे भी सामाजिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र उन्नति के द्वार तक नहीं पहुँच सकता। राजनीतिक प्रजातंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं यदि समाज में सामाजिक समानता व्यवहार में नहीं। यद्यपि सामाजिक ढाँचे के लिए राजनीतिक ढाँचा आवश्यक है, किंतु सामाजिक ढाँचे का राजनीतिक जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है यह उसकी कार्य प्रणाली को बदल सकता है और उसे मिटा भी सकता है तथा उसका मजाक भी उड़ा सकता है।''[2]

आधार प्लान का सामान्य सा अर्थ यह है कि राजनीतिक तथा आर्थिक विषयों पर निर्णय लेने से पूर्व 'आधार प्लान'' अर्थात् सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाये।

डॉ. अंबेडकर ने प्रजातांत्रिक शासन के भेदभाव पूर्णता और दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रथम अनिवार्य शर्त 'कानून के शासन' को बताते हुए कहा कि ''मौजूदा शासन'' की प्रथम शर्त यह है कि वह कानून के नियंत्रण में रहे। राज्य सरकार और उसके सेवक सत्ता का दुरुपयोग हेतु स्वतंत्र न हो। अन्यथा इसके राजनीतिक परिणाम भयावह हो सकते हैं।

बुद्धिमान और प्रजातांत्रिक शासक को यदि परिस्थितिवश कठोर निर्णय लेने भी पड़े तो उसे संयम से काम लेना चाहिए। उसे कठोर निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसके निर्णयों से वे उद्देश्य समाप्त न हो जिसके लिए जनता ने उसे चुनकर भेजा है। उसके निर्णयों में भेदभाव निहित नहीं होना चाहिए न ही जनसंपत्ति को हानि हो और न ही महिलाओं के साथ व्यभिचारपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहन देने वाले हो।

दूसरी तरफ अंबेडकर ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि ''वे व्यक्ति जो समाज की उपयोगी सेवा किये बिना ही अपने धन की आमदनी पर जीवन बसर करते हैं, वे लोग प्रजातंत्र और नागरिक प्रशासन दोनों के ही घोर दुश्मन है।''[3]

26 नवंबर, 1949 को तीसरे वाचन में उन्होंने स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के लिए चिंता प्रकट करते हुए कहा कि ''ऐसा नहीं कि भारत में पहले लोकतंत्र नहीं था, बल्कि आधुनिक संसदीय प्रक्रिया के नियम भी प्रचलित थे, किंतु कालांतर में ये सब व्यवस्थाऐं लुप्त हो गई हैं और इसे अब एक नई वस्तु समझा जाता है। इसमें लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही की संभावना मुझे दिखाई देती है। इसलिए हमें नवलोकतंत्र में तानाशाही को रोकना है। इसके लिए हमें दृढ़तापूर्वक संवैधानिक रीतियों का पालन करना चाहिए।''[4]

लोकतंत्र को स्वरूप को बनाये रखने हेतु उन्होंने यह भी संदेश दिया कि ''किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को भेंट नहीं चढ़ा दे। उन्होंने आयरलैंड के देशभक्त होनियल ओ कोरेल को कोट करते हुए कहा कि ''अपने सम्मान को गँवाकर कोई भी पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने सतीत्व को लुटाकर कोई भी स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती और स्वतंत्रता को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता।''

इन चिंताओं और संदेश के साथ–साथ लोकतंत्र की रक्षा के दो उपाय और उनकी ओर से बताये गये जो प्रजातांत्रिक आधार–प्लान हेतु महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रजातंत्र की सुरक्षा की नींव है।

इसमें सर्वप्रथम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। उन्होंने इस संदर्भ में चेताया कि ''हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट होकर नहीं बैठना है, बल्कि हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर भी ध्यान देना होगा।''

सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ :– स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में ढालना। तीनों एक–दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में से किसी एक का अभाव का तात्पर्य लोकतंत्र के मूल प्रयोजनों का विफल होना।

स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता की त्रिभूति पर आधारित अधिष्ठित सामाजिक और आर्थिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है।

हमें राजनीतिक जीवन में तो स्वतंत्रता मिल गई किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है जिन्हें हमें तुरंत समाप्त करना चाहिए अन्यथा यह विषमता लोकतंत्र के इस मंदिर को ध्वस्त कर देगी।''[5]

डॉ. अंबेडकर का प्रजातांत्रिक आधार–प्लान और वर्तमान भारत की वास्तविकता :–

डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित प्रजातांत्रिक आधार–प्लान का क्या अभी तक क्रियान्वयन हो पाया है या नहीं इसका मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है।

डॉ. अंबेडकर ने सर्वप्रथम लोकतंत्र में तानाशाही के प्रवेश की संभावनाओं का जिक्र किया था। आज हमें प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से दलों और उनकी सरकारों की तानाशाही के दर्शन हो जाते हैं। जनता सरकारों से जिसे उसी ने चुना है बेहतर जीवन की गुहार लगाती नजर आती है किंतु सरकारें ''स्वातः सुखाये, स्वातः हिताये'' के सिद्धांत पर निरंतर बढ़ती जा रही है। निर्वाचक अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है।

जब सरकारें तानाशाही की ओर बढ़ रही हैं तब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की उम्मीदें ही करना बेकार है।

सरकारी कागजों और आकड़ों में ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र दिखाई देता है जबकि वास्तविकता कागजी आकड़ों से परे है। देश की आजादी के 76 वर्षों बाद भी इस हकीकत का बयान 11 अक्टूबर, 2022 में जारी एवं **''विश्व असमानता रिपोर्ट 2022''** के द्वारा पता चलता है, जिसमें कहा गया है कि ''भारत एक गरीब तथा अत्यंत असमानता वाला देश है जिसमें अभिजात वर्ग प्रभावी है। भारत के मात्र 10 प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय आय की 22 प्रतिशत संपत्ति है। वही सबसे गरीब 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 13 प्रतिशत संपत्ति है।''[6]

इस आर्थिक असमानता के लिए केवल वितरण नीति ही जिम्मेदार नहीं बल्कि जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरूतियाँ भी जिम्मेदार है। ये वे कारण है जो निम्न जाति को भूमि और संपत्ति तथा उनके काम के उचित मूल्य से वंचित रखते हैं।

इसके संदर्भ में सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय पुणे, जे.एन.यू. तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित द्वारा वर्ष..... में राज्यों के 110800 परिवारों को शामिल करते हुए सन् 2015 से 2017 के मध्य किये गये अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष में बताया कि ''22.3 प्रतिशत उच्च जातियों के हिंदुओं के पास देश की 41 प्रतिशत संपत्ति है जबकि 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 3.7 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लोगों के पास केवल 7.6 प्रतिशत संपत्ति ही है।'' निम्न जातियों के साथ लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है। **वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022** में भारत 146 देशों में **135 वें** स्थान पर है, जबकि भारत के पड़ौसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान की स्थिति भारत से बेहतर है।

सरकारी महकमों में अभी भी ताकतवर जातियों का दबदबा है। कमजोर तबके और महिलाओं की भागीदारी में अंतर पाया जाता है। सरकार महिलाओं–दलितों के बारे में चिंतित जरूर दिखाई देती है किंतु नीतिगत और व्यावहारिक इच्छाशक्ति में सकारात्मक अभिरुचि नहीं। इसके पीछे सामाजिक रूढ़िवादिता, राजनीतिक दृढ़इच्छा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लचीलापन जैसे कारण मौजूद है।

संदर्भ ग्रंथ

1. वाघ, डॉ. संदेश माधवराय, ''डॉ. अंबेडकर के प्रजातांत्रिक विचार, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. 7

2. वाघ, डॉ. संदेश माधवराय, ''डॉ. अंबेडकर के प्रजातांत्रिक विचार, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. 27

3. वही, पृ 29

4. हर्ष, हरदान, डॉ. भीमराव अंबेडकर जीवन और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 90

5. संविधान सभा वाद–विवाद, लोकसभा, दिल्ली, पृ. 979

6. विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 (Net exam)